अध्याय-V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय–V: अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

(क) राज्य में भू–राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण अधिनियमों एवं नियमावली[1] के तहत् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशासित होता है। शीर्ष स्तर पर प्रधान सचिव–सह–आयुक्त शासकीय प्रधान होते हैं और प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, उप समाहर्त्ता और अंचलाधिकारी क्षेत्र स्तर पर उनको सहायता प्रदान करते हैं। अंचल कार्यालय प्राथमिक इकाई है जो भू–राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

(ख) उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों और बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 के द्वारा राज्य में शासित होते हैं। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमावली के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, उत्पाद पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त उत्पाद के कार्य सम्पादन में एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार प्रमंडलीय मुख्यालयों[2] में से प्रत्येक में एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्त्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या एक अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दुकानों के खुदरा विक्रेताओं को सभी प्रकारों के शराब की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2016) के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 12 इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी तथा 73 कंडिकाओं से सन्निहित निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत कर दी गई थी। वर्ष

---

1 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1908; बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956; बिहार सरकार एस्टेट (खासमहाल) हस्तक, 1953।

2 भागलपुर–सह–मुंगेर, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णिया, पटना–सह–मगध तथा तिरहुत–सह–सारण।

2015–16 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 839 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ एवं निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग के अंतर्गत 51 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ हैं जिसमें से 108 एवं 39 इकाईयाँ वर्ष 2015–16 की अवधि के लेखापरीक्षा योजना में ली गई। इसके विरुद्ध हमने वर्ष की अवधि में क्रमशः 91 एवं 37 इकाईयों की लेखापरीक्षा किया। हमने ₹ 361.22 करोड़ से सन्निहित 840 मामलों में राजस्व की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका–5.1** में वर्णित है :

तालिका–5.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं.	राशि
कः भू–राजस्व			
1.	पंचाट के कम निपटारा के परिणामस्वरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना	1	138.28
2.	स्थापना प्रभारों का लेखांकन नहीं किया जाना तथा संग्रहण/प्रेषण नहीं/ कम किया जाना	1	83.53
3.	कोषागार में राजस्व/ब्याज/अमीन फीस का प्रेषण नहीं किया जाना	48	13.13
4.	सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अंतरण पर राजस्व की वसूली/प्रेषण नहीं किया जाना,	1	11.68
5.	सर्वे नही किया जाना एवं गैर कृषि क्षेत्र के उपयोग हेतु कृषि भूमि को परिवर्तित नहीं किया जाना	10	1.03
6.	अन्य मामले	517	63.31
कुल		**578**	**310.96**
खः राज्य उत्पाद			
1.	उत्पाद दुकानों का नहीं/विलम्ब से बंदोबस्त किया जाना	56	10.26
2.	अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	34	18.32
3.	अन्य मामले	172	21.68
कुल		**262**	**50.26**
कुल योग		**840**	**361.22**

वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान भू–राजस्व एवं राज्य उत्पाद पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकन से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम निम्न चार्ट में प्रदर्शित हैः

चार्ट–5.1

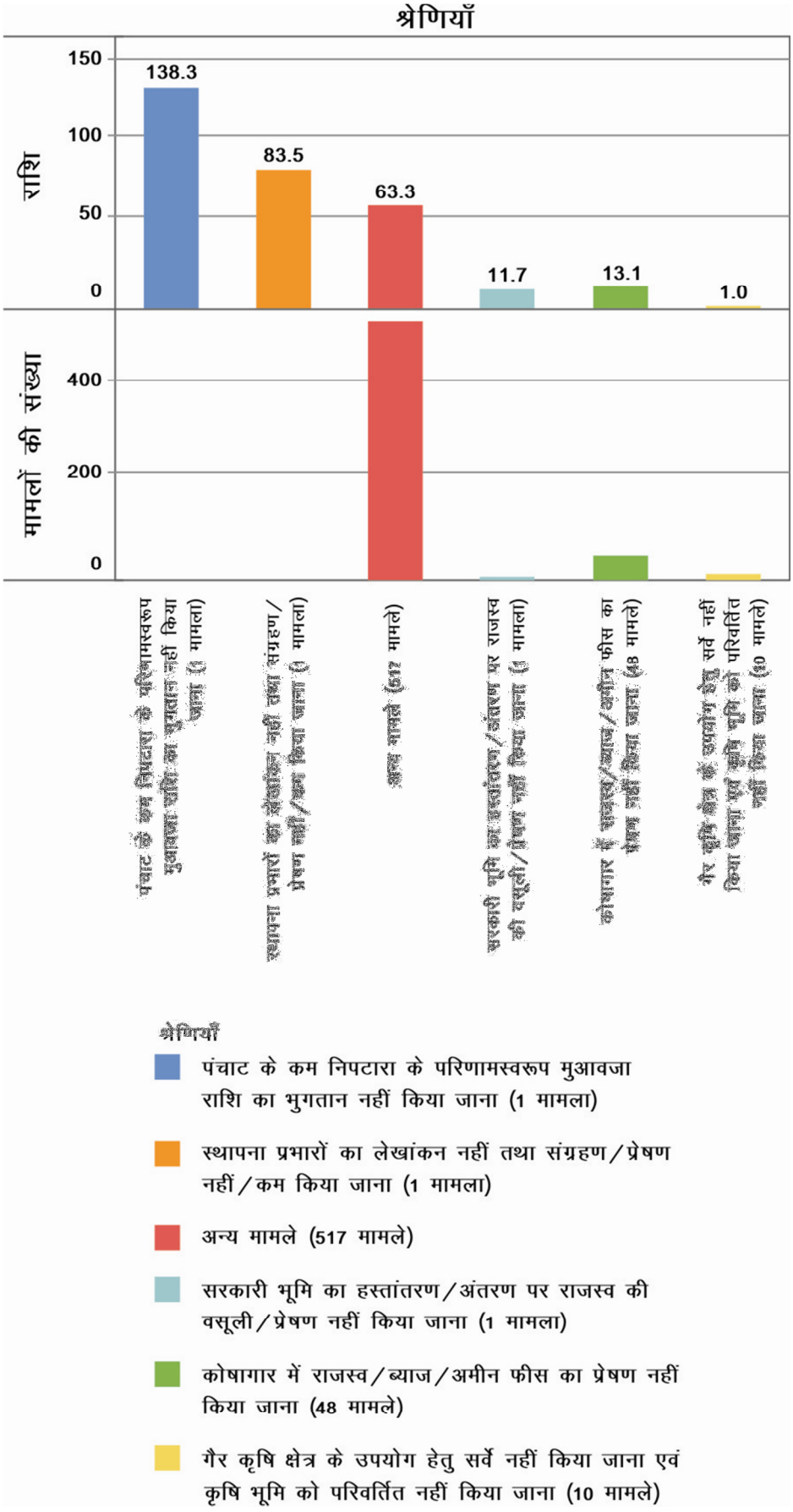
श्रेणियाँ
राशि
150
100
50
0
138.3
83.5
63.3
11.7
13.1
1.0
मामलों की संख्या
400
200
0
पंचाट के कम निपटारा के परिणामस्वरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना (1 मामला)
स्थापना प्रभारों का लेखांकन नहीं तथा संग्रहण/प्रेषण नहीं/कम किया जाना (1 मामला)
अन्य मामले (517 मामले)
सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अंतरण पर राजस्व की वसूली/प्रेषण नहीं किया जाना (1 मामला)
कोषागार में राजस्व/ब्याज/अमीन फीस का प्रेषण नहीं किया जाना (48 मामले)
गैर कृषि क्षेत्र के उपयोग हेतु सर्वे नहीं किया जाना एवं कृषि भूमि को परिवर्तित नहीं किया जाना (10 मामले)
श्रेणियाँ
पंचाट के कम निपटारा के परिणामस्वरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना (1 मामला)
स्थापना प्रभारों का लेखांकन नहीं तथा संग्रहण/प्रेषण नहीं/कम किया जाना (1 मामला)
अन्य मामले (517 मामले)
सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अंतरण पर राजस्व की वसूली/प्रेषण नहीं किया जाना (1 मामला)
कोषागार में राजस्व/ब्याज/अमीन फीस का प्रेषण नहीं किया जाना (48 मामले)
गैर कृषि क्षेत्र के उपयोग हेतु सर्वे नहीं किया जाना एवं कृषि भूमि को परिवर्तित नहीं किया जाना (10 मामले)

चार्ट–5.2

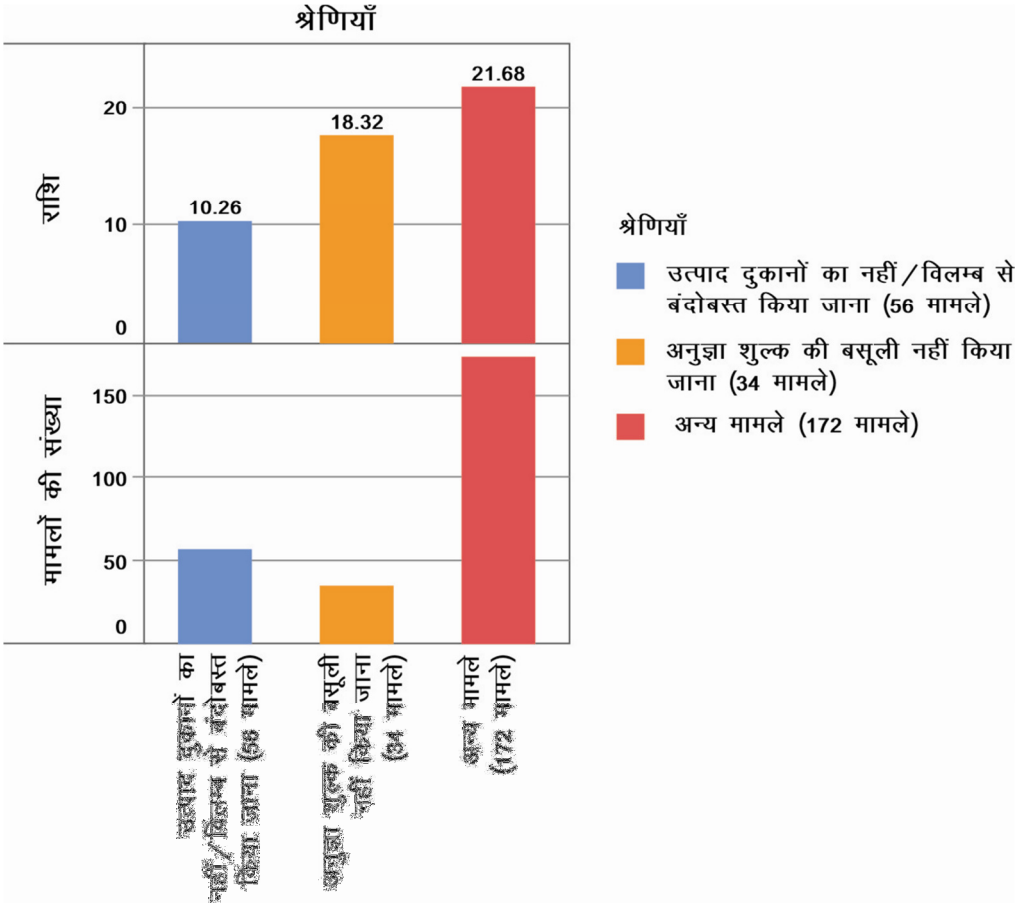

(क) वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 10 मामलों में सन्निहित ₹ 60.84 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, जो पूर्व के वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

(ख) वर्ष 2015–16 की अवधि में निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग ने आठ मामलों में सन्निहित ₹ 41.24 लाख के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 8.19 लाख से सन्निहित दो मामले वर्ष 2015–16 के दौरान एवं शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किए गए थे। पुनः विभाग ने आठ मामलों में ₹ 41.24 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया जो वर्ष 2013–14 एवं 2015–16 के बीच की अवधि के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 134.77 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

5.4 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अपर/उप समाहर्त्ता, भू–राजस्व एवं सहायक आयुक्त/उत्पाद अधीक्षक के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इनमें से कुछ चूकों को पूर्व में हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रहीं बल्कि लेखापरीक्षा

किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

कः भू–राजस्व

5.5 स्थापना प्रभार का कम प्रेषण

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने, अधियाची निकाय/विभागों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 111.72 करोड़ के स्थापना प्रभार की वसूली एवं प्रेषण को सुनिश्चित नहीं किया।

बिहार भूमि अधिग्रहण मैन्युअल के नियम 139 के साथ पठित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 15/डीएलए पॉलिसी 01/04–1250 रेवेन्यू दिनांक 15 मई 2006 के माध्यम से निर्गत सरकारी आदेश प्रावधित करता है कि निकाय/सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ करने से पहले जिला भू–अर्जन पदाधिकारी अधियाची निकाय/विभाग से अधिग्रहित भूमि हेतु मुआवजा की निर्धारित सीमा पर निर्धारित दर[3] से स्थापना प्रभार आरोपित एवं संग्रहित करेंगें।

हमने जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर एवं भोजपुर के कार्यालयों में वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि से संबंधित 18 में से पाँच परियोजनाओं, जिनके लिये चार अधियाची प्राधिकारों[4] हेतु भूमि (रैयती/सरकारी) का अधिग्रहण किया गया था, से संबंधित अभिलेखों/संचिकाओं की संवीक्षा (दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच) की तथा पाया कि वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि के लिए ₹ 856.68 करोड़ के मुआवजा राशि पर स्थापना प्रभार के रूप में 170.86 करोड़ का आरोपण एवं संग्रहण किया जाना था (अनुमोदित मौजा–वार प्राक्कलन के आधार पर संगणित), जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 59.14 करोड़ ही कोषागार में प्रेषित की गई थी। इसके फलस्वरूप ₹ 111.72 करोड़ के स्थापना प्रभार का कम प्रेषण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XXXIV** में वर्णित है।

हमने पुनः पाया (अगस्त 2016) कि मार्च 2011 एवं अगस्त 2015 के बीच कुल मुआवजा राशि ₹ 955.49 करोड़ प्राप्त हुये थे। चूंकि संबंधित जिला भू–अर्जन कार्यालयों में स्थापना प्रभार का कोई पृथक लेखा संधारित नहीं था, अतः मुआवजा राशि के उपरोक्त कुल प्राप्ति में से प्रत्येक परियोजना के विरूद्ध स्थापना प्रभार का वास्तविक संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने के बाद, भू–अर्जन पदाधिकारी भोजपुर (आरा) ने कहा (अप्रैल एवं अगस्त 2016) कि लेखापरीक्षा के द्रष्टव्य पर तीन परियोजनाओं से संबंधित ₹ 14.49 करोड़ की राशि कोषागार में प्रेषित कर दी गई है, जबकि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भागलपुर ने कहा (जनवरी एवं अगस्त 2016) कि प्रत्येक परियोजना हेतु स्थापना प्रभार के व्यय का एक पृथक लेखा संधारित की जायेगी तथा शेष राशि को यथाशीघ्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने पुनः सूचित किया (मई 2016) कि पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के एक मामले में ₹ 7.35 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा कोषागार में जमा करा दी गई है।

---

[3] 15 मई 2006 से पहले स्थापना प्रभार का दर मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत तथा उसके बाद 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत।

[4] बिहार राज्य विद्युत बोर्ड; नेशनल हाइवे ऑथिरिटी ऑफ इंडिया; बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 तथा बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

5.6 सरकारी भूमि के हस्तान्तरण पर राजस्व की वसूली नहीं किया जाना

सरकारी भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित ₹ 11.68 करोड़ की राशि की वसूली अधियाची प्राधिकारी से नहीं किया गया था।

बिहार सरकार एस्टेट (खासमहाल) मैन्युअल, 1953 के नियम 171 के साथ पठित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (मार्च 1991) प्रावधित करता है कि बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार इत्यादि के साथ वाणिज्यिक प्रयोजन हतु सरकारी भूमि की बंदोबस्ती, सलामी के रूप में भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य तथा 25 वर्षों तक सलामी के पाँच प्रतिशत के दर पर वार्षिक लगान की संचित मूल्य के भुगतान पर, की जायेगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के संचिकाओं, अभिलेखों तथा संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा से हमने पाया (जनवरी 2016) कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी को ₹ 11.68 करोड़ के सलामी तथा लगान की संचित मूल्य के भुगतान पर 20.825 एकड़ सरकारी भूमि[5] के हस्तान्तरण की स्वीकृति (अक्टूबर 2014) प्रदान किया। इस भूमि का हस्तांतरण (23 नवम्बर 2015) स्वीकृति के 12 माह बीत जाने पर भी बगैर राशि की वसूली किये अधियाची प्राधिकारी को कर दी गई। हालाँकि, समाहर्ता ने 1.62 एकड़ जमीन से संबंधित एक मामले में ₹ 1.31 करोड़ का माँग पत्र निर्गत किया (सितम्बर 2016)।

इसे इंगित किये जाने के बाद जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा (जनवरी 2016) कि सरकारी भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित राशि की वसूली हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जायेगी। पुनः उत्तर प्रतीक्षित है।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

5.7 आकस्मिक प्रभार की अधिक वसूली

सरकारी संकल्प के प्रावधान के उल्लंघन में ₹ 60.35 लाख के आकस्मिक प्रभार का अधिक संग्रहण किया गया।

बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत् जारी सरकारी संकल्प (फरवरी 2007) के अनुसार अधियाची प्राधिकारी को परियोजना के लिए अधिग्रहण किये जाने वाली भूमि के प्राक्कलित मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम ₹ 2 लाख तक, आकस्मिक प्रभार का भुगतान पुनर्वास, सर्वे, अनुश्रवण, लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय, जैसे वाहन तथा कम्प्यूटर का आउटसोर्सिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन ड्राफ्ट्मैन इत्यादि हेतु करना है।

[5] सरकारी भूमि का विवरण :

(राशि ₹ में)

मौजा	थाना सं0/खाता सं0	क्षेत्रफल (एकड़ में)	वसूलनीय राशि
हरिनकोल	81/684	19.205	10,37,07,000
सिरमतपुर	78/2649	1.620	1,31,22,000
कुल		**20.825**	**11,68,29,000**

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर एवं भोजपुर के कार्यालयों में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित चार परियोजनाओं के भूमि की लागत का प्राक्कलन तथा संबंधित अभिलेखों/संचिकाओं से दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु अधियाची प्राधिकारों से वर्ष 2010–11 एवं 2015–16 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 68.35 लाख का आकस्मिक प्रभार भू–अर्जन पदाधिकारियों ने संग्रहित किया था। परियोजनाओं की भूमि का प्राक्कलन मौजा–वार विभक्त किये गए थे तथा तदनुसार आकस्मिक प्रभार का आरोपण किया गया था। हालाँकि इन चार परियोजनाओं में प्रति परियोजना ₹ 2 लाख की दर पर ₹ 8 लाख का आकस्मिक प्रभार लिया जाना था। इस प्रकार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने सरकारी संकल्प के प्रावधान की अवहेलना करते हुये ₹ 60.35 लाख के आकस्मिक प्रभार का अधिक संग्रहण किया, जैसा कि **परिशिष्ट–XXXV** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा (जनवरी 2016) कि विभाग के साथ परामर्श के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी जबकि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर ने कहा (अप्रैल 2016) कि ग्राम–वार राजस्व प्राक्कलन के आधार पर नियमानुसार 0.5 प्रतिशत की दर पर कटौती की गयी है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि उपरोक्त संकल्प के अनुसार आकस्मिक प्रभार का संग्रहण परियोजनावार किया जाना चाहिए था।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

5.8 लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण नहीं किया जाना

अधिग्रहण के अधीन भूमि का 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर प्रतिशतता के रूप में ₹ 18.71 लाख का उपकर निर्धारित/आरोपित नहीं की गई थी।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम,1950 की धारा 22 एवं 23 के साथ पठित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (जून 2000) के प्रावधान के अनुसार 25 वर्षों के लिये भूमि के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य का 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत क्रमशः शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, कृषि विकास उपकर तथा सड़क उपकर के रूप में वसूली की जानी है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर, भोजपुर तथा पटना के कार्यालयों में हमने पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच) कि वर्ष 2000–01 से 2015–16 की अवधि के दौरान 49 परियोजनाओं के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इनमें से हमने 16 परियोजनाओं (3,596.62 एकड़ भूमि) के परियोजना प्राक्कलन एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा की तथा पाया कि अधिग्रहण के अधीन भूमि के 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर संबंधित परियोजनाओं के प्राक्कलन तैयार करते समय उपकरों का निर्धारण नहीं किया था। इस प्रकार, ₹ 12.91 लाख के लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर के रूप में ₹ 18.71 लाख की राशि का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने कहा (जुलाई 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच) कि विभाग के साथ परामर्श के बाद उपकर की वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी। आगे उत्तर प्रतीक्षित है।

मामला सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं अप्रैल 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

खः राज्य उत्पाद

5.9 उत्पाद दुकानों के अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

उत्पाद प्राधिकारियों ने मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर उत्पाद दुकानों के 95 समूहों को विलम्ब से निरस्त किया तथा 33 समूहों को निरस्त ही नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 9.15 करोड़ के बकाए सरकारी राशि की वसूली नहीं हुई।

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली 2007 का नियम 15 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग प्रतिभूति राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा समतुल्य राशि अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14(बी) के साथ पठित उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक दुकान का वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह की पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में संबंधित माह के 20 वें तारीख तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

5.9.1 अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दुकानों की अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

हमने 22 जिला उत्पाद कार्यालयों[6] की बन्दोबस्ती संचिका, माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी तथा प्रतिभूति जमा पंजी का संवीक्षा किया तथा पाया (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच) कि उत्पाद दुकानों के 95 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ, मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किये जाने के कारण, अगस्त 2013 एवं अक्टूबर 2015 के बीच की अवधि में निरस्त कर दिये गये थे। पुनः हमने पाया कि इन उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति 16 दिनों से पाँच माह तक के विलम्ब से निरस्त किये गये थे, जबकि इसे चूक के माह के 20 वें तिथि के बाद निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार दुकानों के विलम्ब से निरस्तीकरण के कारण लेखापरीक्षा की तिथि तक ₹ 6.95 करोड़ अवसूलित रह गये। सरकारी राजस्व की वसूली हेतु उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जून 2016) कि 16 जिलों[7] के मामलों में चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नीलामवाद दायर कर दिया गया है, अररिया जिलें में चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नीलामवाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है तथा दो जिलों (बेगुसराय एवं नवादा) में नीलामवाद दायर करने की कार्रवाई की जायेगी। औरंगाबाद एवं मधेपुरा जिलों के मामले में विभाग ने कहा कि बकाए अनुज्ञा शुल्क का

---

6 अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), नवादा, पूर्णिया, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सारण (छपरा), सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

7 भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), पूर्णिया, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सारण, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

समायोजन उपलब्ध प्रतिभूति जमा के साथ कर दी गई है तथा शेष बकाए अनुज्ञा शुल्क के लिये नीलामवाद दायर कर दिया गया है। उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि चूक के मामले में उपरोक्त नियमावली के प्रावधान के तहत् प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाना चाहिए था।

5.9.2 उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति निरस्त नहीं किये गये मामलों में अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

हमने पुनः अगस्त 2015 में पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिला उत्पाद कार्यालय में बन्दोबस्ती संचिका तथा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी से पाया कि उत्पाद दुकानों के 33 समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों ने अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच की अवधि से मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करना बंद कर दिया था लेकिन उत्पाद प्राधिकारियों ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भी संबंधित उत्पाद दुकानों को निरस्त नहीं किया था, जबकि इन दुकानों को चूक के माह के 20 वें तिथि के बाद निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ के सरकारी बकाए की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) ने कहा (जून 2016) कि एक समूह के अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 2.45 लाख की वसूली कर ली गई है तथा शेष अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध नीलामवाद प्रारंभ की गई है।

5.10 जमानत राशि के अनियमित समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता

उत्पाद दुकानों के बकाए मासिक अनुज्ञा भुल्क के विरूद्ध जमानत राशि का अनियमित समायोजन किया गया था।

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली 2007 का नियम 15 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग प्रतिभूति राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा समतुल्य राशि अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14 के साथ पठित उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक दुकान का वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह की पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में संबंधित माह के 20 वें तारीख तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

पुनः उपरोक्त नियमावली का नियम 21 उपबंधित करता है कि इस नियमावली के नियम 15 में संदर्भित प्रतिभूति राशि की वापसी बन्दोबस्ती अवधि के बाद की जानी है, अगर बन्दोबस्त दुकानों से संबंधित राज्य सरकार के सभी बकाए एवं दावों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कर दी गई हो।

5.10.1 उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा के कार्यालय की बन्दोबस्ती संचिका तथा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी 2015) कि उत्पाद दुकानों के छः समूहों की अनुज्ञप्तियाँ, दिसम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 की अवधि के मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण 6 मार्च 2014 एवं 31 मार्च 2014 के बीच निरस्त कर दिये गये थे। हमने पुनः पाया कि जमा प्रतिभूति राशि का समायोजन

बकाये राशि से किया गया था। बकाए राशि के विरूद्ध ₹ 20.48 लाख के प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जाना उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में प्रतिभूति राशि को जब्त करना उपबंधित करता है। इसके फलस्वरूप न केवल ₹ 20.48 लाख के प्रतिभूति राशि का अनियमित समायोजन हुआ, बल्कि अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता भी दी गई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जून 2016) कि जमानत राशि का समायोजन बकाए अनुज्ञा शुल्क के साथ की गई थी। यद्यपि तथ्य यह है कि चूक के मामले में जमानत राशि को जब्त करने के बजाय बकाए अनुज्ञा शुल्क के साथ अनियमित समायोजन की गई थी।

5.10.2 पुनः उत्पाद अधीक्षक, कटिहार के कार्यालय की बन्दोबस्ती संचिका तथा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजियों की संवीक्षा में हमने पाया (अक्टूबर 2015) कि उत्पाद दुकानों के 26 समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों ने दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015 की अवधि के लिए मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किया था, लेकिन अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों ने मासिक अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में चूक हेतु इन दुकानों के अनुज्ञप्ति को निरस्त नहीं किया। हालाँकि उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बकाये राशि से समायोजित किया गया था, जो मासिक अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में चूक के मामले में उत्पाद दुकानों का निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि को जब्त किया जाना उपबंधित करता है। इसके फलस्वरूप न केवल ₹ 1.22 करोड़ के प्रतिभूति राशि का अनियमित समायोजन हुआ, बल्कि अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता भी दी गई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जून 2016) कि 17 मामलों में माह जनवरी 2015 का बकाया अनुज्ञा शुल्क ₹ 87.51 लाख चालान द्वारा जमा कर दिया गया था तथा राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी। यद्यपि हमने पाया कि इन मामलों में फरवरी 2015 के बकाए अनुज्ञा शुल्क के विरूद्ध प्रतिभूति राशि का समायोजन किया गया था, जो अनियमित था। विभाग ने एक मामले में बकाए अनुज्ञा शुल्क को प्रतिभूति राशि से समायोजित किये जाने को स्वीकार किया।